

# कार्यालय आदर्श नगर पंचायत निचलौल जनपद – महाराजगंज

पत्रांक

/न0प0नि0/ 2019-20

दिनांक- 13.03.2020

## अल्पकालीन ई- निविदा सूचना

पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि 14वां वित्त आयोग से निर्माण कार्य कराने तथा रजिस्टर्ड फर्म/अधिकृत डीलर से सामग्रियों की आपूर्ति हेतु (टेक्निकल एवं फाईनेन्शियल) निविदा निम्नलिखित विवरण के अनुसार [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) आनलाईन के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा को वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा शुल्क पूर्वाचल बैंक निचलौल में खुले खाता सं- 75041443404 आई.एफ.एस.सी.कोड **SBINORRPUGB** में जमा करके प्राप्ति रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा। ई- निविदाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय नगर पंचायत निचलौल, से कार्यालय समय व दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

1	वेबसाइट पर ई- निविदा प्रकाशन की तिथि/समय	17.03.2020 (पूर्वाह्न 12.00 बजे)				
2	ई-निविदा डाउनलोड की प्रारम्भ तिथि/समय	17.03.2020 (अपराह्न 12.00 बजे).				
3	ई- निविदा अपलोड की प्रारम्भ की तिथि/समय	17.03.2020 (अपराह्न 12.00 बजे)				
4	ई- निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	24.03.2020 (अपराह्न 02.00 बजे)				
5	ई- निविदा खोली जाने की तिथि/समय	24.03.2020 (अपराह्न 03.00 बजे)				
क0 सं0	कार्य /स्थल का नाम	अनुमानित लागत	ई-निविदा प्रपत्र के साथ जमानत धनराशि 5%	ई-निविदा स्वीकृति के पश्चात जमानत धनराशि 5%	निविदा मूल्य (निविदा मूल्य+स्टेशनरी चार्ज+जी.एस.टी.)	निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	वार्ड नं0-11 में, कटरा चौराहा से जिगनहवां शौचालय तक जलकल पाईप लाईन विस्तारीकरण कार्य ।	2,15,000.00	10750.00	10750.00	150+500+117=767.00	एक माह
2	वार्ड नं0-10 में पराग नमक के दुकान के सामने पुलिया निर्माण कार्य	3,50,000.00	17500.00	17500.00	200+500+126=826.00	तदैव
3	वार्ड नं0-07 में पुलिया निर्माण कार्य	3,50,000.00	17500.00	17500.00	200+500+126=826.00	तदैव
4	वार्ड नं0-01 में पुलिया निर्माण कार्य	3,50,000.00	17500.00	17500.00	200+500+126=826.00	तदैव
5	वार्ड नं0-04, टिकुलहिया मार्ग के पश्चिम सैयद मिस्त्री के घर तक इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण कार्य ।	9,92,000.00	49600.00	49600.00	500+500+180=1180.00	तदैव
6	वार्ड नं0-06 में मुनीर आलम के घर से रोड तक इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण कार्य ।	5,22,000.00	26100.00	26100.00	200+500+135=835.00	तदैव
7	वार्ड नं0-05 में अन्त्येष्टि स्थल का अवशेष बाउन्ड्रीवाल तथा घाट, सेड व अन्य निर्माण कार्य ।	41,21,000.00	206050.00	206050.00	2100+500+468=3068.00	तदैव
8	वार्ड नं0-12 में रामचन्द्र लेखपाल के घर से घनश्यामलाल लेखपाल के घर तक इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण कार्य ।	8,00,000.00	40000.00	40000.00	400+500+162=1062.00	तदैव

*(Handwritten Signature)*



## समाग्री आपूर्ति हेतु

क्र० सं०	समाग्री का नाम	मात्रा	ई-निविदा प्रपत्र के साथ जमानत धनराशि 5%	ई-निविदा स्वीकृति के पश्चात जमानत धनराशि 5%	निविदा मूल्य (निविदा मूल्य+स्टेशनरी चार्ज+जी.एस.टी.)	आपूर्ति करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	एल0ई0डी0 लाईट मय फिटिंग सहित 90वाट, 60वाट, 45वाट, आगणन धनराशि 4,90,000.00	30	25000.00	25000.00	250+500+135=885.00	एक पक्ष

## निर्माण कार्य हेतु नियम व शर्तें

- निर्माण कार्य हेतु जमानत धनराशि कुल आगणन धनराशि का 10% देना होगा। ई-निविदा प्रपत्र के साथ 5% व ई-निविदा स्वीकृति के पश्चात 5% एफ0 डी0आर0, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र या नगद जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत निचलौल के पक्ष में बन्धक के रूप में जमा करना होगा।
- पंजीकृत ठेकेदार/निविदादाता को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण-पत्र व हैसियत प्रमाण-पत्र की छाया प्रति ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- निर्माण कार्य स्वीकृत आगणन /मानक के अनुसार करना होगा।
- निविदादाताओं को नियमानुसार स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध पत्र करना होगा। विना अनुबन्ध किये कार्यादेश जारी नहीं किया जायेगा।
- अवर अभियन्ता नगर पंचायत निचलौल के देख रेख में निर्माण कार्य करना होगा।
- विना कारण बताये एक या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी नगर पंचायत निचलौल में निहित होगा।
- बिना अनुमति के ठेकेदार द्वारा आगणन से अधिक कार्य नहीं कराना होगा, यदि अधिक कार्य करता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। नगर पंचायत निचलौल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठेकेदार को उसका भुगतान नहीं किया जायेगा।
- शासनादेश के क्रम में किये जाने वाला निर्माण,पूर्ण होने के पश्चात पाँच वर्ष तक अनुरक्षण/रख रखाव, कान्ट्रैक्टर/फर्म द्वारा किया जायेगा साथ ही 5 प्रतिशत की धनराशि परफारमेंस गारंटी के रूप में 03 वर्ष के लिए रोकने के उपरान्त सड़क/निर्माण के समुचित रख-रखाव होने की दशा में ही किया जायेगा।
- कार्य में प्रयुक्त इण्टरलाकिंग ईटो एंव सामग्री ईटो के नमूने का परीक्षण कराकर ही उसका प्रयोग किया जायेगा जाये।
- ठेकेदार को स्वयं शपथ पत्र जो 100.00 रुपये की स्टाम्प पेपर पर नोटरी, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। जिस पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो संलग्न किया जायेगा। (शपथ पत्र हेतु प्रारूप कार्यालय नगर पंचायत निचलौल से प्राप्त किये जा सकते हैं जो 14 विन्दु पर हैं)
- ई-निविदा प्राप्त करने की तिथि से यदि अवकाश हुआ तो अगले कार्य दिवस में निविदा प्राप्त व खोली जायेगी।
- निर्माण कार्य कए लिए किसी भी नियमो/शर्तों में संशोधन कर सक्त/शिथिल करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
- उक्त कार्यो में यदि अधिक विल प्राप्त होता है तो उसका भुगतान राज्य वित्त आयोग के प्राप्त धनराशि से किया जायेगा।
- ठेकेदार द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्य के प्रत्येक कार्य का श्रम प्रवर्तन अधिकारी महाराजगंज के कार्यालय में कार्य का पंजीयन के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- सशर्त निविदाए स्वीकर नहीं की जायेगी।

26





16. मानक के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य न करने पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत यह कृत्य अपराध माना जायेगा तथा ठेकेदार/फर्म के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
17. स्वीकृत कार्यस्थल पर ठेकेदार द्वारा बोर्ड लगाया जायेगा, जिसपर कार्य का नाम प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि आदि उल्लेख किया जायेगा।
18. फर्म/ठेकेदार जिनको पूर्व में जारी किया गया है किन्तु उनके द्वारा अब तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तो उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
19. किसी भी फर्म/ठेकेदार या उसके सहयोगी द्वारा निविदा कार्यमें व्यवधान, अभद्रता दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को काली सूची में करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाना में अंकित करायी जायेगी।
20. कार्यादेश में दिये गये समय के सापेक्ष कार्य को पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य पूर्ण न करने होने दशा में जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। कार्य प्रारम्भ न होने की दशा में कार्यादेश निरस्त किया जा सकता है।
21. यदि निर्धारित तिथि में कोई सार्वजनिक अवकाश पड़ता है, तो निविदाएं आगामी कार्य दिवस में आमंत्रित एवं खोली जायेगी।

### सामाग्रीयो के आपूर्ति हेतु नियम व शर्तें

1. सामाग्री हेतु जमानत धनराशि कुल आगणन धनराशि का 10% देना होगा। ई-निविदा प्रपत्र के साथ 5% व ई-निविदा स्वीकृति के पश्चात 5% एफ0 डी0आर0, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र या नगद जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत निचलौल के पक्ष में बन्धक के रूप में जमा करना होगा।
2. ई-निविदा प्रपत्र के साथ फर्म/आपूर्तिकर्ता को जी.एस.टी. पंजीयन अधिकृत डीलर फर्म को 03 वर्ष का लगातार अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
3. हैवेल्स कम्पनी का PWD AAA Approved की एल.ई.डी. ही मान्य होगी।
4. आपूर्तिकर्ता को सामाग्री से सम्बन्धित समस्त कागजात आपूर्ति के साथ देना अनिवार्य होगा।
5. किसी भी नगरीय निकायो में सन्तोषजनक कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
6. अपूर्ण व ऋटिपूर्ण निविदा स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।
7. किसी भी ई-निविदा को विना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार मा0 अध्यक्ष नगर पंचायत निचलौल में निहित होगा।
8. सामाग्रीयों का दर प्रति अर्द्ध/ प्रति फिट आदि के दर से निविदा पत्र में अंकित करना होगा।
9. नगर पंचायत निचलौल में आपूर्ति करने वाले फर्मों को वरीयता दिया जायेगा।
10. स्वीकृति निविदादाता को कम से कम एक वर्ष का विद्युत रख-रखाव की जिम्मेदारी लेनी होगी। उक्त उपकरण में कोई कमी/खराबी होने पर फर्म अपने व्यय से ठीक करायेगा, विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी  
नगर पंचायत निचलौल  
महराजगंज

अध्यक्ष  
नगर पंचायत निचलौल  
महराजगंज

पत्रांक 952(3) / न0प0नि0 / 2019-20 / तददिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय जनपद-महराजगंज
2. प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय- महराजगंज।
3. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. महराजगंज को इस आशय से प्रेषित कि इस विज्ञापन को वेवसाइड [www.Maharajganaj.nic.in](http://www.Maharajganaj.nic.in) पर डालने की कृपा करें।
4. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी  
नगर पंचायत निचलौल  
महराजगंज

अध्यक्ष  
नगर पंचायत निचलौल  
महराजगंज